

04/3/24

इसलिए वही के पूर्व लिखांक
21/3/2024 (21/2/2024) को उक्त
में कोई कार्य नहीं करी पाएंगे
नोटिस अंकित किया। अतः वारंट
नोटिस में जारी किया जा रहा है।
किसी शुभानुभव ले कर ही



(बिनु देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)